न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 347/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/637

दायर दिनांक :– 07.11.2025 निर्णय दिनांक :– 20.05.2026

1. बीरबलराम पुत्र हरचंदराम जाति बिश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप
2. भगवानाराम पुत्र हरचंदराम जाति बिश्नोई निवासी नगरासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 6/1 रकबा 9.2268 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 9.2268 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी व भू–नक्शा संलग्न पेश है। उक्त भूमि पूर्व में मूल खसरा नम्बर 6/1 कुल रकबा 285–10 बीघा अनुसार राजस्व अभिलेख मे दर्ज थी इसलिये उक्त भूमि सहखातेदारों के द्वारा उक्त भूमि का आपसी सहमति का एक बंटवाडा सक्षम अधिकारी तहसीलदार, फलोदी के समक्ष उपस्थित कर कर लिया था और उक्त आपसी सहमति के बंटवाडा अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अलग–अलग खाते कायम कर दिये लेकिन आपसी सहमति के बंटवाडा के साथ नजरी नक्शा अंकित नहीं होने से उक्त भूमि राजस्व अभिलेख भू–नक्शा मे सामलाती ही दर्ज रही लेकिन मौके पर अपने–अपने कब्जा काश्त व हिस्से अनुसार अलग–अलग बंट कर लिये थे और उसी कब्जा का काश्त अनुसार वर्तमान भू–नक्शा में सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 की तरमीम अलग–अलग कायम करदी गई है और उक्त तरमीम अनुसार की वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने वर्तमान तरमीम अनसार अपनी कब्जा काश्त की भूमि में रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं के बाडें इत्यादि बना रखे है। जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह की मास निवासी करता आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी में तो अलग–अलग दर्ज थी

Satya..
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

लेकिन नक्शा लट्ठा में सामलाती ही दर्ज थी। वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना में पटवारी हल्का द्वारा सरासर गलत रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के बट्टा नम्बर एक–दूसरे के विपरीत दर्ज कर दिये है। उक्त भूमि की तरमीम प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त अनुसार ही है लेकिन उक्त तरमीम के खसरा नम्बर लिपिकीय त्रुटिवश हल्का पटवारी द्वारा गलत दर्ज कर दिये गये है। खसरा नम्बर 6/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/3 तथा खसरा नम्बर 6/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/1 अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त दोनो खसरा नम्बर भू–नक्शा में एक दूसरे के विपरित अंकित है जो एकमात्र लिपिकीय त्रुटि है। जिसको दुरूस्त किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 6/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/3 तथा खसरा नम्बर 6/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/1 भू–नक्शा में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उपस्थित होकर कथन किया कि धारा 53 के तहत विभाजन आदेश की सक्षम न्यायालय में चुनौती पेश करे। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा इकबालिया जवाब पेश कर जवाब में बताया कि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 6/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/3 तथा खसरा नम्बर 6/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/1 भू–नक्शा में दुरूस्त किया जाता है तो जवाबदाता को किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 6/1 रकबा 9.2268 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 6/3 रकबा 9.2268 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अलग–अलग खाता नम्बर में दर्ज है परन्तु वर्तमान जमाबंदी अनुसार भू–नक्शा में तरमीम एक दूसरे खातेदार के विपरीत अंकित की गई है। जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं भू–नक्शा के रकबे में भिन्नता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी इकबालिया जवाब में खसरा नम्बर 6/1 के स्थान पर 6/3 तथा 6/3 के स्थान पर 6/1 भू–नक्शा में दूरूस्त किये जाने के कथन किए हैं। प्रार्थना पत्र के अभिकथनों एवं इकबालिया जवाब से साबित होता है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 6/1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 6/3 भू–नक्शा में विपरित अंकित है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दस्तावेजी साक्ष्यों एवं इकबालिया जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 6/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/3 तथा खसरा नम्बर 6/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 6/1 भू–नक्शा में दूरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप फलोदी